20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

2रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

2रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

32

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर म. प्र.

प्रकरण क्रमांक :– तीन / निग. / दतिया / भू.रा. / 2018 / 1910

20-3-18

13-4-18

20-3-18

रामजीलाल पुत्र श्री पहलवान शर्मा निवासी गणेशपुरा तहसील भाण्डेर जिला दतिया हाल निवास ग्राम दिगुंवा तहसील सेंवढ़ा जिला दतिया म. प्र. –प्रार्थी

बनाम

1 रामप्रताप राजपूत सरपंच ग्राम पंचायत दिगुंवा तहसील सेवढ़ा जिला दतिया म. प्र.

2– सचिव ग्राम पंचायत दिगुंवा तहसील सेवढ़ा जिला दतिया म. प्र. –प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 21 / 09 / 2017 न्यायालय अपर आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग ग्वालियर म. प्र. प्रकरण क्रमांक 04 / 2014–15 / अपील। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय सेवढ़ा जिला दतिया म. प्र. प्रकरण क्रमांक 61 / 2012–13 / अपील आदेश दिनांक 03 / 07 / 2014 रामप्रताप बनाम रामजी लाल। तहसीलदार सेवढ़ा जिला दतिया का प्रकरण क्रमांक 59 / 2005–06 / अ–6 एवं 35 / 2012–13 / अ–6 आदेश दिनांक 08 / 08 / 2013।

20/3/18

महोदय,

प्रार्थी की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तत है :–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :–

1– यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विवादित भूमि ग्राम दिगुंवा में स्थित है विवादित भूमि को प्रार्थी के मामा श्रीधर पुत्र रघुनाय निवासी दिंगुंवा ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12 / 08 / 1972 को रामभरोसे पुत्र द्वारकाप्रसाद से क्रय की उक्त भूमि का विक्रयपत्र श्री हनुमान जी महाराज खेरापति स्थित ग्राम दिगुंवा के

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन/निगरानी/दतिया/भूरा/2018/1910

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
03-7-18	आवेदक के अधिवक्ता श्री अशोक भार्गव उपस्थित। उनके द्वारा अपर कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 04/2014–15/अपील में पारित आदेश दिनांक 21.9.2017 के विरूद्व यह निगरानी म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में लगभग 7 माह के पश्चात इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को आदेश दिनांक 21.9.17 के आदेश की जानकारी 25.9.17 को हुई थी तथा 26.9.17 को नकल का आवेदन लगाया तथा दिनांक 11.1.18 को नकल प्राप्त हुई। धारा–5 के आवेदन में उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि नकल की प्रति अन्य फाइल में लग जाने के कारण फाइल समय पर प्रस्तुत नहीं कर सके। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा जो कारण बताया गया है वह समाधान कारक नहीं होने से यह निगरानी इसी स्तर पर अग्राह की जाती है। सदस्य	